झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-81

26 माघ, 1928 शकाब्द

राँची, वृहस्पतिवार 15 फरवरी, 2007

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी, 2007

संख्या-एल०जी०-9/2002-06/लेज०1--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 7 फरवरी, 2007 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006
(झारखण्ड अधिनियम 2, 2007)

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 (अधिनियम 2, 2003) के संशोधन हेतु अधिनियम ।

प्रस्तावना ।-

चूँकि, इन्टरमीडिएट शिक्षा (+2), माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा की परीक्षा संचालनार्थ झारखण्ड राज्य में एक अधिविद्य परिषद् की स्थापना हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम (झारखण्ड अधिनियम 2, 2003) को अधिनियमित किया गया था । अधिविद्य परिषद् ऐसी परीक्षा के पाठयक्रमों और इन्टरमीडिएट शिक्षा संस्थाओं, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसा की मान्यता के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी तथा इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित यथावश्यक अन्य विषयों या कर्त्तव्यों को क्रियान्वित करेगी ।

और चूँकि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 की अधिनियमिति के उपरान्त परिषद् को समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन करने में, यह प्रतित हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण उपबंध जैसे परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, पदच्युति/परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों की निरर्हता, परिषद् के कार्य-संचालन, परिषद् को समनुदेशित कृत्यों के निष्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों का उपबंध, संस्थाओं के लिए शासी निकाय या प्रबंधन समिति के गठन का उपबंध जहाँ नहीं हो या उपबंधों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण, परिषद् को अपने कृत्यों एवं कर्त्तव्यों के निर्बाध निर्वहन में कठिनाई का बोध होता था अत: यह आवश्यक हो गया है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 का संशोधन किया जाय ।

अब, इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्न रूप से अधिनियमित हो –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –

(अ) यह अधिनियम झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहलायेगा

(ब) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में लागू होगा ।

(स) यह राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होगा ।

2. अध्याय (1) की धारा–2 में निम्नलिखित अंतःस्थापित होंगे :

(ड) ''संयुक्त सचिव'' से अभिप्रेत है परिषद् का संयुक्त सचिव ।

(ढ) ''वित्त पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है परिषद् का वित्त पदाधिकारी ।

(ण) ''परीक्षा नियंत्रक'' से अभिप्रेत है परिषद् का परीक्षा नियंत्रक ।

(त) ''शैक्षणिक पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है परिषद् का शैक्षणिक पदाधिकारी ।

(थ) ''प्रस्वीकृति समिति'' से अभिप्रेत है परिषद् की प्रस्वीकृति समिति ।

(द) ''पाठ्यक्रम समिति'' से अभिप्रेत है परिषद् की पाठ्यक्रम समिति ।

(ध) ''परीक्षा समिति'' से अभिप्रेत है परिषद् की परीक्षा समिति ।

(न) ''वित्त समिति'' से अभिप्रेत है परिषद् की वित्त समिति ।

(प) ''शासी निकाय'' से अभिप्रेत है इंटर महाविद्यालय का शासी निकाय ।

(फ) ''प्रबंध समिति'' से अभिप्रेत है माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय तथा मदरसा प्रबंध समिति ।

(ब) ''संस्था'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जो इंटरमीडिएट (+2), माध्यमिक विद्याल संस्कृत विद्यालय तथा मदरसा जो अधिनियम की धारा–7 (2)(i) के उपबंधों के अ प्रस्वीकृत है ।

(भ) ''इंटरमीडिएट महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जो इंटरमीडिएट (+2) स्तर सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए परिषद् द्वारा प्रस्वीकृत है ।

(म) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है परिषद् का सदस्य ।

(य) ''अधिसूचना'' से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना ।

(र) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम ।

(ल) ''सरकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार ।

3. अधिनियम की धारा-3 (I) के बाद धारा-3 (I)(क) अंत:स्थापित की जाएगी :

3 (I)(क) परिषद् का मुख्यालय, राँची में होगा और एक क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में होगा जो संथाल परगना प्रमंडल कर आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा ।

4. अधिनियम के अध्याय 2 की वर्त्तमान धारा-4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा-(4)(I) के रूप में प्रतिस्थापित होगी :

1. परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् ।

(ख) उपाध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् ।

(ग) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पदेन सदस्य ।

(घ) निदेशक, झारखण्ड शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, पदेन सदस्य ।

(ङ) झारखण्ड राज्य की राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि ।

(च) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट माध्यमिक विद्यालय का एक प्रधानाचार्य ।

(छ) ख्यातिप्राप्त छः विद्यानुरागी :- कम से कम एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, महिला तथा अल्पसंख्यक वर्ग से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट ।

(ज) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कम-से-कम 15 वर्षों के शैक्षणिक या प्रशासनिक अनुभव प्राप्त संस्कृत का एक विद्वान ।

(झ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 15 वर्षों का शैक्षणिक या प्रशासनिक अनुभव प्राप्त अरबी, फारसी या उर्दू का एक विद्वान ।

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट झारखण्ड विधान सभा के तीन सदस्य ।

(ट) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात एवं अनुभवी शिक्षाविद् ।

(ठ) +2 विद्यालय/इंटर कॉलेज का एक प्राचार्य ।

धारा-4 (4) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा: परन्तु नामनिर्दिष्ट सदस्य की पद अवधि उस तारीख से रिक्त माना जाएगा, जब जिस वर्ग का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसकी सदस्यता जिस तारीख को समाप्त हो जाय ।

परन्तु धारा-4 के अधीन विधान सभा के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की सदस्यता विधान सभा का सदस्य बने रहने तक या तीन वर्षो तक, जो पहले, हो रहेगी ।

परन्तु - परिषद् की सदस्यता में मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा आकस्मिक रिक्ति होने पर, शेष अवधि के लिए उसी वर्ग के प्रतिनिधि का नामनिर्देशन किया जायेगा ।

5. धारा-6 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा जो परिषद् के कार्य-संचालन से संबंधित है :-

(क) अध्यक्ष द्वारा यथानियत तारीखों को परिषद् की बैठक सम्पन्न होगी । परिषद् की बैठक की सूचना में बैठक के समय एवं स्थान का उल्लेख होगा जो परिषद् के सदस्यों को बैठक की नियत तारीख से कम-से-कम पन्द्रह दिनों के पहले सूचित की जायेगी । किन्तु अध्यक्ष जब भी उचित समझें अथवा परिषद् के एक चौथाई सदस्यों के लिखित आग्रह पर विशेष बैठक बुला सकते है ।

(ख) परिषद् की वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष साधारणतः नवम्बर/दिसंबर माह में होगी ।

(ग) अवश्यकतानुसार परिषद् की अन्य बैठकें उतनी बार सम्पन्न हो सकती है, जितना आवश्यक हो किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच का अंतराल तीन माह से अधिक न हो ।

(घ) परिषद् की बैठक के लिए एक-तिहाई सदस्य गणपूर्ति पूरा करेंगे । गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी एवं परिषद् के उपस्थित सदस्य आहूत बैठक का कार्यक्रम सम्पन्न करेंगे ।

(ङ) बैठक के अनुसरण के लिए प्रक्रिया संबंधी नियम परिषद् अधिकथित करेगी ।

(च) परिषद् किसी ऐसे व्यक्ति को बैठक में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है जो परिषद् की राय में शिक्षा के किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हो ।

परन्तु जिस विषय पर विचार-विमर्श हो रहा है आमंत्रित विशेषज्ञ परिषद् की परिचर्चा में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नही होगा ।

(छ) परिषद् का कोई सदस्य किसी ऐसे मामले में मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जिसमें उसका वैयक्तिक हित सन्निहित हो या विषय किसी ऐसी संस्था से संबंधित हो जिसमें वह शिक्षक है या शासी निकाय का सदस्य हो ।

(ज) परिषद् की बैठक में सभी मामलों का निष्पादन बहुमत से किया जायेगा । मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष महोदय निर्णायक मतदान करेंगे ।

(झ) किसी सदस्य द्वारा दिया गया विसम्मति टिप्पणी परिषद् के कार्यवृत्त में अभिलेखित किया जायेगा ।

6. अध्याय 2 की धारा-7 में निम्नलिखित धाराएँ-7(3), 7(4), 7(5), एवं 7(6) अन्तःस्थापित होंगी :-

7(3) परिषद् का प्रयोजन एवं शक्ति :-

(क) राज्य सरकार द्वारा भेजे गए इंटरमीडिएट (+2) शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत एवं मदरसा संस्थानों के मामले में परिषद् राज्य सरकार को परामर्श देगी ।

(ख) डिग्री महाविद्यालयों से इंटरमीडिएट शिक्षा के पृथक्करण के लिए राज्य सरकार को परामर्श देगी ।

(ग) परिषद् इंटरमीडिएट (+2), माध्यमिक, मध्यमा एवं मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्य विवरण/पाठ्य-चर्चा का निर्माण करना तथा राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् लागू करना ।

(घ) संस्थाओं के छात्रों के शारीरिक, नैतिक एवं सामाजिक कल्याण का संबर्धन करना तथा उनमें अनुशासन की भावना जाग्रत करना ।

(ङ) यदि कोई मान्यता प्राप्त संस्था मान्यता की किसी शर्तों के अनुपालन में विफल रहती है, या कोई संस्था शिक्षा के हित के विपरित कार्य कर रही हो या परिषद् द्वारा निर्धारित शिक्षण स्तर के अनुपालन संबंधी आदेश का उल्लंघन कर रही हो तो परिषद् पोषण भत्ता कम करने या रोकने की अनुशंसा कर सकती है ।

(च) भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपकरण, लेखन-सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की आवश्यकताओं एवं स्तर का निर्धारण करना ।

(छ) संस्था के किसी वर्ग (कक्षा) के छात्रों की संख्या निर्धारित करना ।

(ज) राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर शैक्षणिक सत्र एवं अवकाश तालिका का निर्धारण करना ।

(झ) किसी संस्था से कोई सूचना या प्रतिवेदन की मांग करना ।

(ञ) वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा पर विचार करना एवं आर्थिक प्राक्कलन प्रस्तुत करना एवं राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजना ।

(ट) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन प्राप्त कर परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन करना ।

(ठ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन करना ।

(ड) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर अध्यक्ष एवं सचिव से भिन्न परिषद् के अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाना ।

(ढ) अध्यक्ष एवं सचिव से भिन्न परिषद् के अन्य पदाधिकारियों के स्वीकृत पदों पर विहित प्रक्रियानुसार नियुक्ति करना एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना ।

7.4 विश्वविद्यालय के सम्बद्ध या अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट (+2) स्तर के शिक्षण की व्यवस्था :-

परिषद् डिग्री महाविद्यालयों में संलग्न इंटरमीडिएट (+2) कक्षाओं में समुचित शिक्षण परीक्षादि के लिए संबंधित वि०वि० अधिकारियों से सम्पर्क कर व्यवस्था कर सकती है ।

7.5 मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मान्यता की समीक्षा :-

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई संस्था निर्धारित शर्त्तों की पूर्ति तथा शिक्षण एवं अनुशासन के समुचित स्तर का निर्वहन कर रही है, या नही, परिषद् प्रत्येक तीन वर्षों में या आवश्यकतानुसार उसके पूर्व भी मान्यता के मामले की समीक्षा कर सकती हैं ।

(2) समीक्षोपरान्त उचित एवं युक्तियुक्त कारणों के आधार पर परिषद् यदि आवश्यक समझे, संस्था को दी गई मान्यता लौटा देने हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा भेजने के लिए सक्षम है ।

(3) जहाँ किसी संस्था की मान्यता वापस ली जाती है और परिषद् की पंजी से उसका नाम हटा दिया जाता है तो संस्थान के प्रबंधक को निर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द माना जायेगा । परिषद् पंजीयन प्रमाण-पत्र के रद्दकरण की अधिसूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करेगी ।

7.6 मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शासी निकाय/प्रबंध समिति के गठन के लिए परिषद् की शक्ति :-

(1) राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्था या धर्म एवं भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक संस्था के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट (+2), माध्यमिक, मध्यमा (संस्कृत) तथा मदरसा संस्था के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए एक शासी निकाय/प्रबंध समिति का गठन परिषद् कर सकेगी, जिनमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

i. संस्था-प्रधान, पदेन सदस्य ।

ii. परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट परिषद् का एक प्रतिनिधि ।

iii. परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विधान मंडल का एक सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में संस्था अवस्थित है ।

iv. राज्य सरकार का एक पदाधिकारी जो जिला में पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून कोटि का न हो जिसका नामनिर्देशन परिषद् द्वारा किया जायेगा ।

v. संस्था के शिक्षकों द्वारा उनमें से निर्वाचित एक शिक्षक सदस्य ।

vi. संस्था को 25000 का दान देने वाले दाताओं द्वारा निर्वाचित एक दाता सदस्य ।

vii. शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा जिले में रहने वाले शिक्षाविदों या व्यक्तियों जो अपने विद्यानुराग के कारण ख्यातिप्राप्त हों, में से एक को सहयोजित (Co-opt) किया जायेगा ।

viii. जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी - पदेन सदस्य

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न शासी निकाय/प्रबंध समिति के अन्य सदस्यों की पदावधि तीन वर्षो की होगी और उनकी शक्तियों एवं कार्यो का निर्धारण नियम द्वारा किया जायेगा ।

(3) केवल सदस्यों की रिक्ति या रिक्तियाँ होने के फलस्वरूप शासी निकाय/प्रबंध समिति की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी ।

7. अधिनियम की धारा-8 के उपबंधों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :-

8(अ) समितियों का गठन :-

(1) अपने सदस्यों में से परिषद् एक या अधिक निम्नलिखित समितियों का गठन करेगी :-

(क) मान्यता समिति ।

(ख) पाठ्यक्रम समिति ।

(ग) परीक्षा समिति ।

(घ) वित्त समिति ।

(2) प्रत्येक समिति का अध्यक्ष परिषद् का अध्यक्ष होगा या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य होगा । अध्यक्ष के अतिरिक्त समिति के सदस्य चार से अधिक नही होंगे ।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक समिति का एक सचिव होगा जिसका नामनिर्देशन अध्यक्ष परिषद् के पदाधिकारियों में से करेंगे ।

8(आ) समितियों के कृत्य :-

(1) मान्यता समिति का कृत्य होगा परिषद् को संस्थानों को मान्यता देने के संबंध में परामर्श देना ।

(2) पाठ्यक्रम समिति का कृत्य होगा परिषद् को पाठ्यक्रम की प्रस्तुति तथा पुस्तकों के निर्माण या चयन में परामर्श देना ताकि संस्थाओं में शिक्षण का संचालन हो सके ।

(3) परीक्षा समिति का कृत्य होगा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में परीक्षकों, प्रश्न-पत्र चयनकर्त्ताओं, अनुसीमकों, सारणीकारों, वीक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य पदाधिकारियों के चयन में अध्यक्ष को परामर्श देना ।

(4) वित्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(क) परिषद् के वार्षिक प्राक्कलन का निर्माण ।

(ख) परिषद् के बजट के अनुरक्षण संबंधी कार्य ।

(ग) समय-समय पर परिषद् द्वारा सौंपे गए वित्तीय कार्य का निष्पादन करना ।

(घ) परिषद् को वित्तीय मामलों में परामर्श देना ।

8. अधिनियम की धारा-10 में निम्नलिखित जोड़े जायेंगे :-

(i) उपाध्यक्ष

(ii) संयुक्त सचिव

(iii) वित्त पदाधिकारी

(iv) परीक्षा नियंत्रक

(v) शैक्षणिक पदाधिकारी

9. धारा-11 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित होगी :-

11(1) अध्यक्ष की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें तथा पदच्युति :-

(क) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं होगा जब तक कि वह अपनी विद्वत्ता, विद्यानुराग तथा प्रशासनिक क्षमता के लिए ख्याति प्राप्त न हो ।

(ख) अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् का एक पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा तथा अपने पद पर तीन वर्षों तक बना रहेगा ।

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर अध्यक्ष को हटा सकती है, यदि वह कार्य नहीं करना चाहता है, या कार्य करने में असमर्थ है या राज्य सरकार का मानना है कि वह परिषद् के हित के विरूद्ध काम कर रहा है ।

(ग)(i) राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति के समान अध्यक्ष का वेतन एवं सेवा शर्तें होंगी ।

परन्तु यदि अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के समय संबंधित व्यक्ति सेवा निवृत्ति लाभ पेंशन, उपादान, अभिदायी भविष्य निधि या अन्य सुविधा पाता हो या पाने का अधिकारी हो, तो नियम में विनिर्दिष्ट वेतन में से कुल पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी । पेंशन के किसी अंश का संराशित मूल्य तथा पेंशन समतुल्य अन्य सेवा निवृत्ति लाभ, यदि कोई हो, वह भी पेंशन की रकम में सन्निहित होगी ।

11(2) परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्यों की निरर्हता :-

कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने या बने रहने के योग्य या सदस्य के रूप में नामनिर्देशित होने या बने रहने के योग्य नहीं समझा जायेगा :-

(क) यदि उसे स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से या अपने भागीदार के माध्यम से -

(i) परिषद् द्वारा प्रकाशित या अनुशंसित किसी पुस्तक में शेयर या हित हो, अथवा
(ii) परिषद् द्वारा या परिषद् की ओर से संविदा पर दिए गए किसी कार्य में शेयर या हित हो ।

(ख) यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसके विरूद्ध सरकारी सेवा से हटाने का आदेश पारित किया गया हो, तो परिषद् में नामनिर्देशन के लिए वह योग्य नहीं होगा ।

(ग) यदि वह -

(i) न्यायालय के निर्णय में पागल करार कर दिया गया हो ।
(ii) दिवालीया हो ।
(iii) न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोष सिद्ध होने पर तीन माह से अधिक का दंड मिला हो ।

स्पष्टीकरण :-

खंड (क) के उपखंड (i) के प्रयोजनार्थ :-

(i) पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में पुनः प्रकाशन एवं पुनःमुद्रण भी शामिल है ।
(ii) यदि किसी व्यक्ति का प्रकाशन में या पाठ्यपुस्तकों के व्यवसाय में लाभांश या हित हो, तो वह निरर्हित माना जायगा, तथा
(iii) निरर्हता (अयोग्यता) संबंधी कोई विवाद होने पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

11. (3) उपाध्यक्ष की नियुक्ति, पदावधि एवं सेवाशर्त्त :-

(i) उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ।
(ii) उपाध्यक्ष एक पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा, जो प्रथम बार पदभार ग्रहण की तारीख से तीन वर्षो से अधिक अवधि तक राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद पर बना रहेगा ।
(iii) प्रथम पदावधि की समाप्ति पर राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तीन वर्षो से अनाधिक अवधि के लिए उनकी नियुक्ति हो सकेगी ।

(iv) राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी जिसे शिक्षा-प्रशासन का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो ।

(v) उपाध्यक्ष का वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें झारखण्ड के किसी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के समतुल्य होगी ।

(vi) अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त, वह क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका का प्रभारी होगा ।

(vii) वह अध्यक्ष के समग्र अधीक्षण के अधीन कार्य करेगा एवं समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

(viii) अन्य सेवा-शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी :-

10. धारा-12 के अधीन निम्नलिखित जोड़े जायेंगे :-

12(2) निरर्हता (अयोग्यता) के कारण अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति :-

यदि अध्यक्ष या परिषद् का कोई सदस्य धारा-11(2) के अधीन निरर्हित घोषित किया जाता है तो अयोग्यता (निरर्हता) घोषित होने की तारीख से पद रिक्त समझा जायेगा । निरर्हता के कारण हुई रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा ।

12(3) सदस्यों का त्याग-पत्र :-

(क) पदेन सदस्य के अतिरिक्त परिषद् का कोई सदस्य अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र लिखित रूप में सौंप सकता है जिसे वह अपने मंतव्य के साथ राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा ।

(ख) राज्य सरकार सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए राजपत्र में अधिसूचित करेगी एवं संबंधित सदस्य का पद राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से रिक्त होगा ।

12(4) सदस्य का हटाया जाना :-

(क) राज्य सरकार परिषद् की अनुशंसा पर या स्वप्रेरणा से किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि उसका आचरण दोषपूर्ण पाया गया हो जो राज्य सरकार की राय में उसे सदस्य के रूप में बने रहने में अयोग्य सिद्ध करता है ।

(ख) उपधारा - (क) के अधीन हटाए गए सदस्य का नाम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा एवं हटाए गए सदस्य का पद राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से रिक्त माना जाएगा ।

11. अधिनियम के अध्याय-(2) की धारा-13 के अधीन निम्नलिखित जोड़े जायेंगे :-

13(6) इस अधिनियम एतद्धीन बनाये गए नियम, विनियम के उपबंधों के अध्यधीन अध्यक्ष को,

परिषद् के अनुसमर्थन के अध्यधीन, कर्मचारियों के स्वीकृत संवर्ग एवं वेतनमान में तथा अन्य अनुसचिवीय कर्मचारी (परिषद् के पदाधिकारियों के अतिरिक्त) के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करने की शक्ति होगी एवं उन पर पूर्ण अनुशासनात्मक शक्ति तथा नियंत्रण होगा ।

13 (7) अध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :-

(क) परिषद् के सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ।

(ख) पाठ्य बोर्ड एवं समितियों के सदस्यों को जैसा वह उचित समझे, कार्य सुपुर्द करने, और

(ग) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर सचिव एवं परिषद् के सदस्यों की यात्रा भत्ता स्वीकृत करने की ।

12. धारा-14, धारा-14(क) पढ़ी जायेगी और धारा-14 में निम्नलिखित 14 (ख), (ग), (घ), एवं (ङ) जोड़े जायेंगे :-

14 (ख) संयुक्त सचिव की अर्हता एवं कर्त्तव्य :-

(i) संयुक्त सचिव एक पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा, वह जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से अन्यून कोटि का पदाधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा ।

(ii) वह अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा और समय-समय पर समनुदेशित कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा ।

(iii) संयुक्त सचिव के दो पद होंगे, एक संयुक्त सचिव परिषद् की स्थापना एवं प्रशासन का प्रभारी होगा और दूसरा संयुक्त सचिव इंटरमीडिएट महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, मदरसा एवं मध्यमा (संस्कृत) विद्यालयों की स्थापना-संबंधी कार्य का प्रभारी होगा ।

14 (ग) वित्त पदाधिकारी की अर्हता एवं कर्त्तव्य :-

(क) वित्त पदाधिकारी परिषद् का पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा ।

(ख) उसे दस वर्षों का वित्तीय प्रशासन का अनुभव हो एवं लेखा, अंकेक्षण और बजट प्रक्रियाओं का विषद ज्ञान हो ।

(ग) उसे वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी की स्नातक डिग्री तथा वित्तीय प्रबंधन में एम०बी०ए० डिग्री होनी चाहिए ।

(घ) परिषद् द्वारा उसकी नियुक्ति होगी ।

(ङ) वह वित्त समिति के सचिव के रूप में काम करेगा तथा अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित कर्त्तव्यों एवं शक्तियों का निर्वहन करेगा ।

(च) उसका वेतनमान संयुक्त सचिव के वेतनमान के अनुरूप होगा ।

14 (घ) परीक्षा नियंत्रण की अर्हता एवं कर्त्तव्य :-

(i) परीक्षा नियंत्रक परिषद् का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा ।

(ii) उसे विश्वविद्यालय प्रशासन में या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो और उसे विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर या समकक्ष अर्हता प्राप्त हो ।

(iii) परिषद् द्वारा उसकी नियुक्ति होगी ।

(iv) परीक्षा नियंत्रक सभी परीक्षाओं (इंटरमीडिएट/+2, माध्यमिक विद्यालय, मदरसा एवं मध्यमा (संस्कृत) के संचालन में तथा समय पर परीक्षाफल प्रकाशन में परिषद् की सहायता करेगा ।

14 (ङ) शैक्षिक पदाधिकारी की अर्हता एवं कर्त्तव्य :-

(i) शैक्षिक पदाधिकारी परिषद् द्वारा नियुक्त एवं पूर्ण कालिक पदाधिकारी होगा ।

(ii) उसे विश्वविद्यालय की उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर या समकक्ष अर्हता होनी चाहिए या उसे किसी डिग्री कॉलेज में शिक्षण अथवा परिषद् या अन्य संगठनों में प्रशासन का कम-से-कम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो ।

13. व्यावृत्ति :-

धारा-29 में मूल पाठ की दूसरी पंक्ति से निम्नलिखित विलोपित किया जाय :

"एक वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर"

14. धारा-28 (1) विलोपित की गई ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, (AMEDNDMENT) ACT, 2006
(JHARKHAND ACT 02, 2007)

An Act to amend the Jharkhand Academic Council Act, 2002 (Jharkhand Act, 02 of 2003)

Preamble:-

Whereas, Jharkhand Academic Council Act (Jharkhand Act 2 of 2003) was enacted to establish an Academic Council in the State of Jharkhand for conducting examination of Intermediate Education (+2), Secondary Education, Sanskrit Education and Madrasa Education. The Academic Council shall recommend courses of studies for such examination and recommend recognition of Intermediate Education Institutions, High Schools, Sanskrit Schools and Madrasa to the State Government and generally for carrying out such other subjects or duties as may be considered necessary for the purpose hereinafter stated.

And, where as after the enactment of Jharkhand Academic Council Act 2002 during the course of execution of functions assigned to the Council, it was felt that some important provisions such as appointment and removal/disqualification of Chairman and members of the Council, conduct of the business of the Council, provision of important officers essential for the execution of functions assigned to the Council, constitution of managing committee/Governing body of the institutions etc. were not there or provisions were not clearly spelt out, due to which the council was experiencing difficulties in the smooth discharge of its function and duties and so it became necessary to amend certain provisions of Jharkhand Academic Council Act, 2002.

Now, THEREFORE Be it enacted by the legislature of the state of Jharkhand in the fifty –seventh year of the Republic of India as follows:-

(1) **Short Title, Extent and Commencement:-**

(a) This Act may be called the Jharkhand Academic Council (Amendment) Act, 2006.

(b) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(c) It shall come in to force from the date of notification in the official Gazette.

(2) **In section 2 of chapter (1) the following shall be inserted:-**

(m) 'Joint Secretary' means Joint Secretary of the Council.

(n) 'Finance Officer' means Finance Officer of the Council.

(o) 'Controller of Examinations' Controller of Examinations of the Council.

(p) 'Academic Officer' means Academic Officer of the Council.

(q) 'Recognition Committee' means Recognition Committee of the Council.

(r) 'Courses Committee' means Courses Committee of the Council.

(s) 'Examination Committee' means Examination Committee of the Council.

(t) 'Finance Committee' means Finance Committee of the Council.

(u) 'Governing Body' means the Governing Body of the Inter College.

(v) 'Managing Committee' means Managing Committee of Secondary School, Sanskrit Vidyalaya and Madrasa.

(w) 'Institution' means an institution imparting education of Intermediate (+2). Secondary School, Sanskrit Vidyalaya & Madrasa recognized under the provision of section 7(2)(i) of the Act.

(x) 'Intermediate College' means Institution imparting general education of Intermediate (+2), standard recognized by the Council.

(y) 'Member' means Member of the Council.

(z) 'Notification means Notification published in the Gazette.

(zz) 'Act' means Jharkhand Academic Council Act.

(zzz) 'Govt.' means State Govt. of Jharkhand.

3. **The following shall be inserted after section 3(1) of the Act as section 3(1)(A)**

3(1)(A) The headquarter of the council shall be at Ranchi and a Regional Office at Dumka which will cater to the needs of Santhal Pargana Division.

4. **The following shall be substituted in section 4 of the Act as section 4(1) in place of the existing section 4(1) of chapter -2**

1. The Council shall consist of the following members:-

(a) Chairman, Jharkhand Academic Council.

(aa) Vice Chairman, Jharkhand Academic Council.

(b) Director, Secondary Education, Ex-officio member.

(c) Director, J.C.E.R.T. Ex-officio member.

(d) One representative of university nominated by State Govt. of Jharkhand State to be nominated for one year in rotation from each University of the State of Jharkhand.

(e) One Headmaster of Secondary School to be nominated by the State Govt.

(f) Six persons of Academic repute: at least one from among the scheduled Caste, Scheduled Tribe, Backward Class, Women and the minority to be nominated by the State Govt.

(g) One Scholar of Sanskrit possessing at least 15 years teaching or administrative experience to be nominated by the State Govt.

(h) One Scholar of Arabic, Persian or Urdu possessing at least 15 years of teaching or administrative experience to be nominated by the State Govt.

(i) 3 (Three) members of the Jharkhand Legislative Assembly to be nominated by the State Govt.

(j) One distinguished and experienced educationist to be nominated by the State Govt.

(k) One Principal of (+2) School.

The following proviso shall be added to section 4(4) as: Provided that any nominated members shall be deemed to vacate office with effect from the date on which he ceases to be a member of the category from which he was nominated.

Provided that the term of office of nominated members under section 4, from legislative Assembly shall be till their membership in the legislature or three years whichever is earlier.

Provided that – Any casual vacancy in the membership of the Council by reasons of death, resignation or otherwise shall be filled by the member of the same category or Body due to whose death, resignation otherwise the vacancy has occurred and the person so nominated shall be a member for the remaining duration of the term.

5. Section 6, be substituted as

6. Conduct of Business

(a) Meeting of the Council shall be held on such dates as may be fixed by the Chairman. Every notice calling a meeting of the Council shall state the time & place where such meeting will be held and shall be served upon every member of the Council not less than fifteen days before the day appointed for the meeting provided that the Chairman may convenc a special meeting of the Council whenever the thinks fit or at the written request of one fourth of the members of the Council.

(b) The Annual meeting of the Council shall be held every year generally in the month of November/December.

(c) Other meeting of the Council shall be held as many times as may be required for the work but the intervening period between any two consecutive meetings shall not exceed three months.

(d) One-third of the members shall constitute the quorum at any meeting of the Council. No quorum shall be necessary for a meeting adjourned for want of quorum and the members present may transact the business for which the meeting was called for.

(e) The Council shall lay down the Rules of procedure to be followed in its meeting.

(f) The Council may invite such person to attend its meeting who in its opinion is an expert in any field of education-

Provided that the subject with which the expert is concerned is likely to be discussed in that meeting. Such invited person may participate in the deliberations of the Council, but he shall have no right to vote.

(g) No member of the Council shall vote on any such subject in which his personal interest is involved or the subject is connected with such Institution of which he is a teacher or a member of the Governing Body.

(h) All the issues in the meeting will be decided by majority vote. In the event of equality of votes, the Chairman shall have the right of casting vote.

(i) Any note of dissent by any member shall be recorded in the minutes of the meeting.

6. The following shall be inserted in section –7 of chapter 2 of the Act as Section 7(3), 7(4), 7(5) & 7(6).

7.(3) Purpose and power of the Council:-

(a) To advice the State Govt. on all such matters concerning Intermediate (+2) Education, Secondary Education, and such other institution like Sanskrit and Madrasa as may be referred to it for advice by the State Govt.

(b) To advice the State Government for de-linking the Intermediate Education from Degree College.

(c) To prepare syllabus, courses of study and curriculum for Intermediate (+2) Secondary, Madhyama and Madrasa Education and to prescribe the same after due approval of the Govt.

(d) To promote physical, moral and social welfare of students of Institutions, to create sense of discipline amongst them.

(e) To recommend fro reduction or stopping maintenance grant or any other grant, if any recognized Institution has failed to implement any of the conditions of recognition, or the Institution is being run in such a way as may be prejudicial to the interest of education or fails to comply with any order issued by the Council for maintenance of the prescribed teaching standard.

(f) To determine the requirements and standard in connection with laboratory, library, apparatus, writing materials and other articles.

(g) To prescribe the number of students for admission in any class of any institution.

(h) To prescribe academic session and holidays for the institutions with the approval of the State Govt.

(i) To call for any report or information from any institution.

(j) To consider Annual reports and Annual Accounts and to approve them and to prepare and forward financial estimate of the same to the State Govt. for approval.

(k) To create, with the prior approval of the State Govt., posts of officers and employees of the Council.

(l) To make Rules for the service conditions of officers and other employees of the Council other than the Chairman and the Secretary with the prior approval of the State Govt.

(m) To make appointments to the sanctioned posts of officers of the Council other than the Chairman and the Secretary, in the manner prescribed and to take disciplinary action against them.

4. Arrangement of teaching of Intermediate (+2) standard in the Colleges managed by or affiliated to University:-

The Council may make for arrangements of proper teaching examinations etc. of Intermediate (+2) classes attached to Degree colleges in consultation with the concerned university authorities.

5. Review of the recognition of recognized Institutions:

(1) With a view to as certaining whether or not the institution is fulfilling the prescribed conditions and maintaining the proper standard of teaching and discipline, the Council shall review the cases of recognition of institutions every three years or before that at such intervals as it may consider necessary.

(2) As a result of the review for proper and sufficient reasons, if the Council considers it necessary. It shall be competent to recommend to the Government for withdrawal of permission given to the Institution concerned.

(3) Where the recognition of any institutions is withdrawn and its name is removed from the register of the Council, the certificate of registration to the authority of the management of the institution shall be deemed to be cancelled. The Council shall notify the cancellation of recognition in the newspaper.

7.6 Power of the Council for constitution of Governing Body/Managing Committee of recognized Institutions.

(1) There shall be Governing body/Managing Committee constituted by the Council for the management and administration of each recognized Intermediate (+2), Secondary, Madhyama (Sanskrit) and Madrasa Institution other than an Institution maintained by State Govt. or an institution administered by a minority community on the basis of religion or language. It shall consist of following members.

(i) Head of the institution Ex-officio Member.

(ii) A representative of the Council to be nominated by the Council.

(iii) A member of State Legislature, within whose constituency the institution in situated Ex-officio member.

(iv) An officer of the State Govt. posted in the district not below the rank of a Sub-divisional officer nominated by the Deputy commissioner.

(v) One member elected by and from amongst the teacher of the institution.

(vi) One member to be elected by and from amongst donors as have donated at least Rs. 25,000/- to the institution.

(vii) One member to be co-opted by the Governing Body/Managing Committee from amongst such educationists or persons reputed for Having academic interests who reside in the district, where the Institution is located.

(viii) District Education Officer of the District ex-officio.

(2) The term of office of the members of the Governing Body/Managing Committee other than the ex-officio members shall be three years and their powers and functions shall be such as may be prescribed by the rules.

(3) No proceedings of the Governing Body/Managing Committee of the recognized Institution shall be invalid merely by the existence of vacancy or vacancies amongst its members.

7. The provisions of section 8 of the Act shall be deleted and substituted by the following:

"8(A) Constitution of Committees:-

(1) The Council shall constitute one or more of the following committees from amongst its members:-

(a) Recognition Committee

(b) Courses Committee

(c) Examination Committee

(d) Finance Committee

(2) The Chairman of each Committee shall either be the Chairman of the Council or any member nominated by the Chairman. Besides the Chairman the members of the Committee shall not be more than Four.

(3) Save as otherwise provided in this Act there shall be a Secretary of each Committee who shall be nominated by the Chairman from amongst officers of the Council.

8.(B): Functions of the Committees:-

1. The functions of the Recognition Committee shall be to advise the Council on matters of recommending granting of recognition of institutions.

2. The function of the Courses Committee shall be to advise the Council on matters relating to preparation of courses of study and curriculum and selection of books for teaching in recognized Institutions.

3 The function of the Examination Committee shall be to advise the Council in the selection of examiners, paper setters, moderators, tebulators, invigilators, observers and other officers connected with the examinations conducted by the Council.

4. The following shall be the functions of the Finance Committee:-

(a) Preparation of annual estimates of the Council.

(b) Work relating to maintenance of budgets of the Council.

(c) Discharge of such other functions of financial nature as may be entrusted from time to time by the Council, and

(d) To advise the Council on matters related to the finances of the Council.

8. In section 10 of the Act the following be added as:

(i) Vice Chairman

(ii) The Joint Secretary

(iii) Finance Officer

(iv) Controller of Examinations

(v) Academic Officer

9. Section 11 Shall be substituted as :

11(1) Appointment, terms and service conditions and removal of the Chairman **:**

(A) No person shall be deemed to be qualified to hold the post of Chairman unless such person is reputed for his scholarship, academic interest and administrative capability.

(B) The Chairman shall be a whole time officer of the council, appointed by the State Government and shall hold office form a term of three years.

Provided that the State Government may by notification remove the Chairman, if he refuses to act or is unable to act or if he act in a manner which the State Government considers, prejudicial to the interest of the Council

(C) (i) The salary and other service conditions of the Chairman will be same as that of the Vice-Chancellor of the State University. Provided that if at the time of appointment as Chairman, the concerned person was in receipt of or had become entitled to receive retirement benefits by way of pension gratuity, contributory provident fund or otherwise, the pay specified in the rules shall be reduced by the gross amount of pension (including any portion of the pension which may have been commuted) and the pension equivalent of other forms of retirement benefits.

11 (2) Disqualification of Chairman and members of the Council.

No person shall be deemed to be qualified for appointment or to continue as Chairman, for nomination as member or to continue as member-

(a) If he, indirectly, himself or through his partner, has-

(i) Share or interest in any book published or recommended by or on behalf of the Council, or

(ii) Share or interest in any work to be done on contract to be given by the order of or on behalf of the Council.

(b) If he is a person against whom order has been passed for his removal from the Govt. service, he will not be eligible to be nominated to the Council.

(c) If he-

(i) has been declared in same by a judgment of a Court of Law.

(ii) is insolvent.

(iii) has been convicted by a Court of Law for any offence having punishment of more than three months.

Explanation- For the purpose of sub – clause (i) of clause (a)

(i) Publication of the course books includes its republication and reprint.

(ii) Any person holding interest or share in the publication or business of such course books shall be deemed to be disqualified, and

(iii) If any dispute arises in the matter of disqualification, the decision of the State Government shall be final and binding.

1(3) Appointment, term and service conditions of Vice Chairman:-

(i) The Vice-Chairman shall be appointed by the State Government

(ii) The Vice-Chairman shall be a whole-time officer and shall hold office at the pleasure of the State Govt. for a term not exceeding three years from the date on which he first assumes charge of the office.

(iii) On the expiration of the first term he may be appointed at the pleasure of the State Government for a term not exceeding three years.

(iv) The State Government shall appoint such person as Vice-Chairman who has sufficient experience of education administration.

(v) The Salary and other service conditions of the Vice-Chairman shall be equivalent to the Pro-Vice-Chancellor of a University in Jharkhand.

(vi) In addition to his own duties he will be in charge of the Regional office of the Council at Dumka.

(vii) He will act under the over all superintendence of the Chairman and perform such other duties as may be assigned to him by the Chairman from time to time.

(viii) Other conditions of the service shall be determined by the State Government.

10. The following shall be added to section 12

12(2) Vacancy of the post of Chairman or member due to disqualification.

If the Chairman or any Member of the Council is disqualified under section 11(2) His post shall be deemed to have fallen vacant with effect from the date of disqualification. The vacancy caused on account of disqualification shall be published in the official Gazette by the State Government.

12(3) Resignation of members:-

(A) Any member of the Council other than ex-officio Member may submit his resignation in writing to the Chairman of the Council who will forward it to the State Govt. with his comments.

(B) The State Government shall, having accepted the resignation of the Member, notify it in official Gazette and the post of the member concerned shall fall vacant from the date of the notification in the Gazette.

12(4) Removal of the Member;-

(A) The State Government may, on the recommendation of the Council or suo motto remove any member from his post if such a member has been found guilty of such conduct as would in the opinion of the State Government disqualified him to continue as member.

(C) The name of the member removed under sub-section (A) shall be published in the official Gazette by the State government and the post

of the member removed shall fall vacant with effect from the date of notification in the Gazette.

11. In Section 13 of the chapter – (2) of the Act the following be added as

13(6) The Chairman shall, subject to the provisions of this Act, the Rules and Regulations made there under, have power to make appointments subject to ratification by the Council to the posts within the sanctioned grades and scales of pay and within the sanctioned strength of the ministerial employees and other servants of the Council (not being officers of the Council) and have control and full disciplinary powers over such staff and servants.

13(7) The Chairman shall have the:-

(a) Power of general supervision and control over the Secretary and other officers and employees of the Council.

(b) Power to entrust such work as he deems fit to the members of the board of studies and committees and

(c) Power to sanction travelling allowances at the rates approved by the State Govt.to the Secretary and members of the Council.

12. Section 14 be read as 14 A and In Section 14 the following be added as 14(B), (C), (D) & (E):

14(B) Qualification & duties of Joint Secretary.

(i) The Joint Secretary shall be a whole-time officer. He shall be not below the rank of District education Officer and shall be deputed by the State Govt.

(ii) He shall work under the control of the Chairman and shall perform such duties as may be assigned to him from time to time.

(iii) There shall be two posts of Joint Secretary. One Joint Secretary shall be in charge of the work relating to establishment and administration of the Council and other Joint Secretary shall be in charge of the work relating to establishment of Intermediate Colleges, Secondary Schools, Madrasa and Sanskrit Vidyalayas.

14(C) Qualification & duties of the Finance Officer.

(a) The Finance Officer shall be a whole-time officer of the Council.

(b) He shall be a person having ten year's experience of Financial Administration and sound knowledge of accountancy, auditing and budgetary procedures.

(c) He shall possess at least a second class bachelor degree in Commerce and have M.B.A. degree in financial management from recognised institution.

(d) He shall be appointed by the Council.

(e) He shall act as Secretary to the Finance Committee and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Chairman.

(f) His pay scale shall be the same as admissible to the Joint Secretary.

14(D) Qualification and Duties of Controller of Examinations:

(i) The Controller of examinations shall be a whole-time officer of the Council.

(ii) He shall be person having 10 year's experience of University administration or as a teacher in a University or College, possessing a high second class master's degree of the University or an equivalent qualification.

(iii) He shall be appointed by the Council.

(iv) The Controller of Examinations shall assist the Council in the conduct of all examinations (Intermediate +2, Secondary, Madrasa and Madhyama Sanskrit) and the timely publication of the result thereof.

14(E) Qualification and Duties of the Academic Officer:

(i) The Academic Officer shall be a whole-time officer of the Council appointed by the Council.

(ii) He shall possess a high second class Master's Degree of a University or an equivalent qualification and not less than 10 years experience of teaching in a degree College or the administration in the Council or similar organizations.

3. Savings:

In Section 29 the following shall be deleted in line two of the text:

"Within a maximum period of one year"

4. Section 28 (i) stand deleted.

By order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar
Secretary-Cum-Legal Remembrance
Law (Legislative) Department
Jharkhand, Ranchi.